

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

दिनांक - 16.6.25

क रीडर/2025/ 5255

प्रार्थीगण  
नाथूराम पुत्र बुद्धाराम 2.  
करनाराम पुत्र नाथूराम जातियान  
कुम्हार(प्रजापत) तहसील बाड़मेर व  
जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण


1 उकाराम पुत्र अखाराम 2 घमण्डाराम 3 डालूराम पिसरान  
विरमाराम 4 खेताराम 5 राणाराम 6 पेमाराम पिसरान  
छोगाराम 7 आसीदेवी पत्नी छोगाराम 8 नारणाराम 9 आसूराम  
10 तारूराम पिसरान दीपाराम 11 श्रीमती जालीदेवी पत्नी  
दीपाराम कुम्हार(प्रजापत) तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला  
बाड़मेर 12 भीमसिंह पुत्र सतीदानसिंह जाति राजपूत निवासी  
बिजराड, तहसील चौहटन हाल निवासी होटल सांचल  
फोर्ट, महाबार तहसील व जिला बाड़मेर 13 नाथूसिंह 14.  
प्रभुसिंह 15 देरावरसिंह पिसरान जुगतसिंह 16 जोगराजसिंह  
पुत्र भंवरसिंह 17 शंकरसिंह पुत्र प्रतापसिंह 18 अनोपसिंह  
19 मांगूसिंह 20 दानसिंह पिसरान रूपसिंह जातियान  
राजपुरोहित निवासीयान् महाबार तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 587/2024

दिनांक- 10.06.2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा महाबार पटवार हल्का महाबार तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 2494/4 रकबा 31.10 बीघा अर्थात 5.0990 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


  
(वीरमा राम)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 5256-59

दिनांक- 16.06.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर I पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी महाबार, तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण नाथूराम पुत्र बुद्धाराम जाति कुम्हार(प्रजापत) निवासी महाबार तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण उकाराम पुत्र अखाराम वगैरा व जिला बाड़मेर जाति कुम्हार(प्रजापत) निवासी महाबार तहसील व जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर